



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2018/अग्रहायण 12, 1940

No. 381]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2018/AGARHAYANA 12, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड

संकल्प

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

सं. एस-16012/03/2017-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत दिनांक 15.12.1979 की अधिसूचना सं. का.आ. 4076 के विरुद्ध उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण की छत्तीसगढ़ में राजहर मशीनीकृत खान, डल्ली मशीनीकृत खान और झारनडल्ली मशीनीकृत खान में कोयला खनन परियोजनाओं को छूट देने पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:—

i. श्री सुरभि भूम राव

सदस्य

अध्यक्ष, सीएसीएलबी

प्लॉट सं. 9, मनी एन्कलेव,

जेजे नगर, यपरल,

सिकंदराबाद, तेलंगाना।

ii. श्री रामेन्द्र कुमार, अध्यक्ष,

सदस्य

अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस एवं

महासचिव, भारतीय खान कामगार संघ,

मार्फत युनाइटेड वर्क्स यूनियन,

बुध बाजार, पी.ओ. भुरकुन्डा, जिला हज़ारीबाग,

झारखण्ड, पिन – 825301

- | | | |
|------|--|---------------|
| iii. | श्री राज बिहारी शर्मा
भारतीय मजदूर संघ, 2/400,
विद्याधर नगर, जयपुर-302023 | सदस्य |
| iv. | श्री आलोक कुमार,
कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक संबंध),
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली-110001. | सदस्य |
| v. | अधीक्षक अभियंता (सीएण्डएम),
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली। | |
| vi. | उप मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय),
डी/6, सेक्टर-1, आदर्श सोसाइटी, अवन्ती विहार,
रायपुर (सीजी) | सदस्य संयोजक" |

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:-

“यह अध्ययन करना कि दिनांक 15.12.1979 की अधिसूचना सं. का.आ. 4076 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण की छत्तीसगढ़ में राजहर मशीनीकृत खान, डल्ली मशीनीकृत खान और झारनडल्ली मशीनीकृत खान में कोयला खनन परियोजनाओं को 5 वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने वाली दिनांक 15.12.1979 की अधिसूचना सं. का.आ. 4076 के विरुद्ध छूट देना उपयुक्त है या नहीं।”

4. समिति का मुख्यालय रायपुर में होगा। समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

ए.के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

R E S O L U T I O N

New Delhi, the 3rd December, 2018

No. S-16012/03/2017-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Coal Mining Projects at Rajhara mechanized Mine, Dalli Mechanised Mine and Jharandalli Nechanised Mine at Chattisgarh of Steel Authority of India under section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 against Notification No. S.O. 4076 dated 15.12.1979 in respect of employment of Contract Labour in the works specified in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

- | | | |
|-----|--|--------|
| “i | Sh. Surabhi Bhoom Rao
Chairman, CACLB
Plot No.9, Mani Enclave,
J J Nagar, Yaprul,
Secunderabad, Telangana | Member |
| ii. | Shri Ramendra Kumar, President,
All India Trade Union Congress and
General Secretary,
Indian Mine Workers Federation,
C/o United Works' Unions,
Budh Bazar,P/o Bhurkunda, Distt. Hazaribagh,
Jharkhand, PIN-825301 | Member |

- | | | |
|------|--|------------------|
| iii. | Shri Raj Behari Sharma,
Bhartiya Mazdoor Sangh, 2/400,
Vidyadhar Nagar, Jaipur-302023 | Member |
| iv. | Shri Alok Kumar,
Executive Director (Industrial Relations),
Ministry of Railways (Railway Board),
New Delhi-110001. | Member |
| v. | The Superintendent Engineer (C&M),
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan, New Delhi. | Member |
| vi. | The Dy. Chief Labour Commissioner (Central)
D/6, Sector-1, Adarsh Society, Avanti Vihar,
Raipur (CG) | Member Convener" |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

“To study whether there is justification for grant exemption to Coal Mining Projects at Rajhara mechanized Mine, Dalli Mechanised Mine and Jharandalli Nechanised Mine at Chattisgarh of Steel Authority of India in the works specified in the schedule to the notification No. S.O. 4076 dated 15.12.1979 for a period of 5 years against Notification No. S.O. 4076 dated 15.12.1979 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule to the said Notification.”

4. The Headquarters of the Committee will be at Raipur. The Committee shall submit its report within one month.

A.K.SINGH, Secy.